जीवन रक्षक निधि, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से स्वीकृत अग्रिम आर्थिक सहायता ऋण हेतु आवेदन पत्र।

1. जनपद/इकाई का नाम
2. आवेदक का नाम व पद
3. आवेदक की जन्म तिथि
4. कर्मचारी/अधिकारी का सम्पूर्ण वेतन व अन्य भत्तों का योग जो प्रत्येक माह बनता है।
5. क्या कर्मचारी/अधिकारी नियमित रूप से अंशदान दे रहा है(जनपद/इकाई के प्रभारी स्वयं समोहर प्रमाण पत्र दें)
6. क्या कर्मचारी/अधिकारी अपने पति/पत्नी/ पुत्र/पुत्री का उपचार करायेगा और क्या बीमारी/उपचार इस निधि की नियमावली के प्रस्तर-4 के अर्न्तगत है।
7. पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री का नाम
   (पुत्र/पुत्री की दशा में उनके नाबालिग/ अविवाहित होने का प्रमाण पत्र)
8. बीमारी/उपचार का विवरण तथा चिकित्सालय का नाम जहां पर उपचार होना है। क्या चिकित्सक इस निधि की नियमावली के प्रस्तर-6(य) 1, 2, 3 के अन्तर्गत आते है। उपचार से सम्बन्धित सम्भावित व्यय आगणन मूल रूप में संलग्न करें, जिसमें यह अंकित हो कि उपचार कितने समय तक चलेगा और प्रथम चरण में कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।
9. प्रदेश के बाहर यदि चिकित्सा होनी है तो उस स्थिति में रिफर करने वाले चिकित्सक का पत्र व प्रार्थी का आवेदन पत्र होना चाहिये ताकि शासन से अनुमति प्राप्त की जा सके(संलग्न करें)
10. आर्थिक सहायता की मांग के सम्बन्ध में इस निधि का नियमावली के प्रस्तर-6 (य) 1, 2, 3 में अंकित किसी एक चिकित्सक की संस्तुति होनी चाहिये।
11. मांग की गई धनराशि
12. जनपद/इकाई द्वारा इस निधि से स्वीकृत धनराशि का विवरण, यदि कोई हो।

13. जनपद/इकाई के प्रभारी की संस्तुति (यह संस्तुति उनके स्वयं के हस्ताक्षर से होनी चाहिये। संस्तुति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिस धनराशि हेतु संस्तुति की जा रही है वह गम्भीर बीमारियों/घायल होने की श्रेणी में आती है या नहीं।

14. प्रभारी अधिकारी परीक्षण कर अवगत करायें कि जीवन रक्षक निधि की इस मॉग करने के पूर्व जी0पी0एफ0 व अन्य किसी श्रोत से कितना धन उपचार में व्यय किया जा चुका है और आर्थिक स्थिति कैसी है।

15. कर्मचारी/अधिकारी ने यदि दोबारा मांग की है तो अवगत करायें कि पूर्व में स्वीकृत ऋण का उपयोग पूर्ण रूप से कर लिया गया है और ऋण का समायोजन हो गया है।

<u>घोषणा-पत्र</u>

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मैं निर्धारित अवधि में उपचार का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रस्ताव नहीं देता/देती या शासन/विभाग से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एक वर्ष में नहीं आती तो नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दिये गये ऋण की धनराशि यदि मेरे वेतन व अन्य अनुमन्य देयों से काट ली जाती है तो उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नही है।

कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर
पद नाम सहित

समोहर प्रभारी अधिकारी के
हस्ताक्षर